2025/112

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली

प्रेमा कुमावत V/S शंकरलाल कुमावत R/o- अशोकनगर

किस्म मुकदमा 212 R.T Act नं. 164/प्रा०/ सन् 2025

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25 6/25	यह प्रार्थना पत्र सरिस्ता रिपोर्ट के बाद वास्ते आदेश हेतु पेश हुआ। पत्रादि का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर ध्यान पूर्वक मनन किया गया। प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के हक में है। सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है। प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित भूमि खाता संख्या 159 के खसरा संख्या 2586 रकबा 0.4613 हैक्टेयर व खाता संख्या 158 के खसरा संख्या 4007/2587 रकबा 0.5666 हैक्टेयर वाके ग्राम अशोक नगर प0म0 बडानयागांव पर बिना विधिवत बंटवारा करवाए निर्माण कार्य नहीं करें, कृषि स्वरूप नष्ट नहीं करें, भूमि को रहन, बेचान नहीं करें एवं मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। कोई आपत्ति हो तो आगामी तारीख पेशी पर पेश करें। प्रार्थी आगामी दिनांक को अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज व आदेश की प्रति तामीत का शपथ पत्र ओदश 39 नियम 3 सी0पी0सी0 के तहत आवश्यक रूप से पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांकः–07.08.2025 को पेश हो। [signature]	जारी किया 701 10/7/25
18 7/25	पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र पर आज पेश हुई। प्रार्थी ने प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन कर आदेशिका पर "Not press" अंकित किया गया। अतः प्रा० पत्र प्रार्थी "Not press" में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर	Not press प्रेमचंद identified [signature]

3.25

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible]	